फर्द अहकाम

[illegible] बनाम गुलाब

नाम न्यायालय

केस संख्या 100/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	[illegible]/02/04	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित/उपस्थित/ बहस सुनी/ प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में विभाजन करने में कोई त्रुटि/गलती होने का कोई बिन्दु नहीं बताया गया है। केस में प्रारूप [illegible] [illegible] [illegible] पेश [illegible] [illegible] [illegible] अतः प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। बाद में पेश [illegible] का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक [illegible] अन्तिम डिक्री किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कार्य हो [illegible] दाखिल [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

मुकदमा नं0 :– 100/2014

उनवान

जीवन राम रैबारी पुत्र गोविन्दराम रैबारी, जाती रैबारी, निवासी ग्राम बरवाडा, तहत पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नि नाथूराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक, चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

हमफिता वाद

मुकदमा नं0:–102/2014

उनवान

गुलाब देवी पत्नि नाथूराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपर, हाल निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. जीवनराम पुत्र गोविन्दराम, जाति रैबारी, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955

दिनांक – 01.02.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

1. गुलाब देवी पत्नि नाथूराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा0 खातेदार को खसरा नम्बर 1396/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1394 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.43 हैक्टेयर, ख[illegible] 1405/1[illegible] 0.35 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर क[illegible] रहे[illegible]
2. जीवनराम पुत्र गोविन्दराम हि[illegible] खातेदार को खसरा नम्बर 1399/1852 रकबा 0.05 हैक्टेयर, [illegible] रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(फास्ट [illegible])
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2 1
जोड़	3	जोड़	3

सहायक
(फास्ट
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0 :– 100/2014

उनवान

जीवन राम रैबारी पुत्र गोविन्दराम रैबारी, जाती रैबारी, निवासी ग्राम बरवाडा, तहत पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नि नाथूराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक, चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>हमफिता वाद</u>

मुकदमा नं0:–102/2014

उनवान

गुलाब देवी पत्नि नाथूराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपर, हाल निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. जीवनराम पुत्र गोविन्दराम, जाति रैबारी, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955
निर्णय

दिनांकः–01.02.2024

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2023 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी खातेदारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई [illegible] न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.12.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता सं. [illegible]64 खसरा नम्बर 1394 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 13[illegible] रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 1399/1852 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1403/1808 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 5 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम बरवाडा तहत पटवार हल्का अमरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. गुलाब देवी पत्नि नाथूराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा0 खातेदार को खसरा नम्बर 1396/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1394 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1403/1808 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. जीवनराम पुत्र गोविन्दराम हिस्सा पूर्ण जाति रैबारी सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 1399/1852 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1396/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 टे0/मुख्यालय) चौमूँ

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner